न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—5/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/5)

1. रामनिवास पुत्र हजारी जाति भांबी निवासी ग्राम बनेवडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. गोपाल पुत्र मोहन
2. निहाल पुत्र मोहन
3. मनभर पुत्री मोहन
4. महावीर पुत्र मोहन
5. सुरेश पुत्र मोहन
6. भंवरी पुत्री मोहन

समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम बनेवडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीरावाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 22.12.2021, राजस्व वाद संख्या 88/ 2021,

उपस्थितः—

1. श्री मंगला राम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री नरेन्द्र पाराशर, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 07.

निर्णय

दिनांकः—16.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 88/2021 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत 188 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी वाकै ग्राम बनेवडा पटवार हल्का बनेवडा भू.अ. निरीक्षक बाघसुरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के खाता सं. 632/413 के खसरा नं. 2953/1771 रकबा 0.05 हैक्टर, 2955/1772 रकबा 0.09 हैक्टर, 2958/1773 रकबा 0.13 हैक्टर, 2961/1774 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

स्थित है। जिसका अपीलांट खातेदार काश्तकार होकर मालिक स्वामी चला आ रहा है। अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी के लगते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी काश्तकारी के खसरा नंम्बर 2956/1772, 2957/1772, 2959/1773, 2960/1773, 2962/1774 अवस्थित है जिस पर दिनांक 22.11.2021 को प्रातः 9 बजे रेस्पोडेन्ट ने निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया एवं रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की भूमि में नीव खोदना शुरू कर दिया, जिस पर अपीलांट ने मना किया व भूमि का सीमाज्ञान कराने का निवेदन किया किन्तु रेस्पोडेन्टस सीमाज्ञान कराने हेतु सहमत नहीं हुए। वादग्रस्त आराजी का अपीलांट द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान कराया गया था किन्तु पूर्व में किये गये सीमाज्ञान में अपीलांट की भूमि का सही माप नहीं होने के कारण अपीलांट ने जिला कलक्टर, अजमेर को भू–प्रबंध विभाग से सीमाज्ञान कराने का निवेदन किया जिस पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी व तहसीलदार,नसीराबाद को दिनांक 13.9.2021 को नोटिस जारी कर दिया गया हैं।सैटलमेन्ट विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी की सीमाज्ञान कराने की जानकारी रेस्पोडेन्ट को होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अपीलांट की खातेदारी खसरा नम्बरान में नीवें खोदना शुरू कर पक्का निर्माण करने पर उतारू है जिसको रोकने हेतु राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब तक सीमाज्ञान नहीं हो जाता तब तक रेस्पोडेन्ट संख्या. 1 लगायत 6 को पाबंद किया जावे कि अपीलांट के खेत में नीव खोद कर पक्का निर्माण नहीं करे व अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया रेस्पोडेन्टस ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा कि खसरा नम्बर 2953/1771 रकबा 0.05 हैक्टर, 2955/1772 रकबा 0.09 हैक्टर, 2958/1773 रकबा 0.13 हैक्टर, 2961 /1774 की आराजी रेस्पो. की भूमि है रेस्पोडेन्टस, अपीलांट की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 22.12.2021 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट को अस्वीकार करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को खारिज करने में भारी त्रुटि कारित की है। यदि अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी आराजी पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस को अतिक्रमण कर निर्माण नहीं करने हेतु पांबद नहीं किया गया तो अपीलांट को आर्थिक व मानसिक क्षति कारित होगी व अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी से महरूम हो जायेगा फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व विधिक स्थिति की पालना किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलांट का प्रार्थना–पत्र

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2021 को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 ने दौराने जवाब बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.12.2021 में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो महत्वपूर्ण का विवेचन करते हुए आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं मानते हुए, उनका प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को विधि सम्मत खारिज किया है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। वादग्रस्त आराजी न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा से हुए निर्णय दिनांक 30.06.2015 अनुसार विभाजन से हाल जमाबंदी में प्रार्थी/अप्रार्थीगण की पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज है। दिनांक 23.01.2019 को मौका पर्चा संपादित किया गया। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता मोहन के हस्ताक्षर है। साथ ही दिनांक 10.12.2019 के मौका पर्चा अनुसार उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर कब्जा संभलाया गया जिसमें प्रार्थी के भी हस्ताक्षर है। प्रार्थी पुनः उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाना चाहता है साथ ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के बिन्दु संख्या 02 में यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य उनकी अपनी ही खातेदारी भूमि में किया जा रहा है। इससे प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि अप्रार्थीगण विभाजन के बाद प्राप्त स्वयं की खातेदारी भूमि पर निर्माण कर रहें है। वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन किया गया। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस अपनी भूमि पर निर्माण आदि करने का भी विधिक अधिकार है। यदि अपीलांट अपनी खुद की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण करता है तो हमे भी कोई आपत्ति नही है। हमारे द्वारा जहॉ निर्माण कार्य किया जा रहा है वो भूमि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस की खुद की भूमि है,जिसमें प्रार्थी/अपीलांट का हित निहित नही है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिभाषक उभयपक्ष ने एक–दूसरे की आराजी में दुसरे पक्ष द्वारा मौके की स्थिति परिवर्तन न करने के लिए रजामंदी दी है। इसलिए अपीलांट की खातेदार (जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के अनुसार) आराजीयात खाता संख्या 632/413 के खसरा नम्बर 2953/1771 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2955/1772 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 2958/1773 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 2961/1774 रकबा 0.12 है. कुल किता 4 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम बनेवडा तहसील नसीराबाद की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विवादित आराजीयात खाता संख्या 632/413 के खसरा नम्बर 2953/1771 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 2955/1772 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 2958/1773

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 2961/1774 रकबा 0.12 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम बनेवडा तहसील नसीराबाद की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर